भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 857

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर रोग होने के संबंध में अध्ययन

857. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना कैंसर के इलाज को आम आदमी के लिए किफायती बनाने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में विभिन्न प्रकार, आयु समूहों के बीच में कैंसर रोग होने के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश भर के सभी जिला अस्पतालों को जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए साधनयुक्त किया जा रहा है और यदि हां, तो विशेष रूप से त्रिपुरा राज्य के संबंध में इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में गैर-संचारी रोगों (एनपी-एनसीडी) की राष्ट्रीय रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कैंसर (मुख, स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा) सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार एवं प्रबंधन के लिए उचित स्तर की स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र के लिए रेफरल तथा स्वास्थ्य संवर्धन एवं जागरूकता सृजन पर केंद्रित है।

गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए सरकारी अस्पतालों में उपचार या तो निःशुल्क है अथवा उच्च सब्सिडी प्राप्त है। सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा परिचर्या एवं उपचार की सुविधा के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. केंद्र सरकार ने विशिष्ट स्तर पर कैंसर परिचर्या के लिए सुविधाकेंद्रों को बढ़ाने हेतु विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र सुविधा सुदृढ़ीकरण योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य हिस्सेदारी सहित एससीआई के लिए 120 करोड़ रुपये तक तथा टीसीसीसी के लिए 45 करोड़ रुपये तक का एकमुश्त अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। केंद्र और राज्य के बीच निधियों की हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 है जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। इस योजना के तहत, 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र (टीसीसीसी) अनुमोदित किए गए हैं।

ii. कैंसर रोगी मेडिकल कॉलेज, विभिन्न एम्स संस्थानों सहित स्वास्थ्य परिचर्या वितरण प्रणाली में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में उपचार प्राप्त कर रहे हैं। "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)" के तहत सभी नए एम्स और कई उन्नत मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थानों में विशेष फोकस क्षेत्र ऑन्कोलॉजी के हैं। झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता का दूसरा परिसर भी इस दिशा में कदम हैं।

iii. कैंसर का उपचार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत उपलब्ध है, जो सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो भारत की आर्थिक रूप से कमजोर 40% जनसंख्या को मिलाकर 12.37 करोड़ परिवारों के अनुरूप लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। एबी पीएम-जेएवाई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) मास्टर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव चिकित्सा की 500 से अधिक प्रक्रियाओं वाले 200 से अधिक पैकेजों के तहत कैंसर से संबंधित उपचार प्रदान किया जाता है।

iv. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना को किफायती कीमतों पर गुणवत्ता जेनेरिक दवाइयां प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के रूप में समर्पित आउटलेट स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाइयां और 300 सर्जिकल उपकरण योजना के दायरे में लाए गए हैं, जिनमें से 83 उत्पाद कैंसर उपचार के लिए हैं।

v. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत), कैंसर, हृदय वाहिका और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए किफायती दवाएं उपलब्ध कराती है। दिनांक 15.01.2025 की स्थिति के अनुसार 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 220 अमृत फार्मेसियां हैं, जो कैंसर सहित 6500 से अधिक दवाएं महत्वपूर्ण छूट पर विक्रय कर रही हैं।

vi. फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 131 कैंसर-रोधी सूचीबद्ध फॉर्मूलेशन, जिनमें से एनएलईएम 2022 के तहत 120 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें निर्धारित की गई हैं। एनपीपीए ने दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार 28 कैंसर रोधी फॉर्मूलेशन, जो आवेदन विनिर्माता और विपणन कंपनियों पर लागू हैं, की खुदरा कीमतें निर्धारित की हैं। एनपीपीए ने 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण' दृष्टिकोण के तहत 42 चयनित गैर-सूचीबद्ध

कैंसर रोधी दवाओं पर 30% की व्यापार मार्जिन की सीमा तय की है। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने तीन कैंसर रोधी औषधि, नामतः ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब के लिए सीमा शुल्क को शून्य और जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है।

(ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) डेटा, कैंसर के मामलों, मृत्यु दर, पैटर्न, प्रवृत्ति और कैंसर के भू-विकृत्ति विज्ञान संबंधी वितरण पर डेटा प्रदान करता है। आईसीएमआर-एनसीआरपी डेटा के अनुसार, देश में वर्ष 2023 के लिए सभी आयु समूहों के लिए विभिन्न प्रकार के कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 14,96,972 है। कैंसर के आंकड़ों के बारे में अधिक सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://ncdirindia.org/Publications.aspx।

(ग): एनपी-एनसीडी के तहत, 770 जिला अस्पतालों और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी के लिए 372 जिला डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। त्रिपुरा में 7 जिला एनसीडी क्लीनिक और 38 सीएचसी एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जिला अस्पतालों को जानलेवा रोगों के उपचार के लिए लैस करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. सभी जिला अस्पताल पीएमजेएवाई योजना द्वारा समर्थित सभी सर्जिकल क्रियाकलाप प्रदान कर रहे हैं।
2. सभी जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) और बाल चिकित्सा उच्च निर्भरता इकाई (एचडीयू) के साथ बाल चिकित्सा देखभाल इकाई तैयार की गई है।
3. सभी जिला अस्पतालों को पीएमकेयर्स के तहत ऑक्सीजन प्लांट से लैस किया गया है।
4. सभी जिला अस्पतालों में 10 बिस्तरों वाला वयस्क आईसीयू कार्यशील है। एक जिला अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना की गई है।
5. जिला अस्पतालों में एनसीडी क्लिनिक के माध्यम से कैंसर स्क्रीनिंग और उपशामक देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

******